न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

प्रा0 पत्र संख्या
06/07

तारीख दायर
01.10.2025

तारीख निर्णय
04.03.2026

बउनवान

01. रामोतार पुत्र स्व० मांगेलाल
02. विनय सिंह पुत्र स्व० मांगेलाल
03. उम्मेदसिंह पुत्र स्व० मांगेलाल, जाति जाट, निवासी कलसाडा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर.राज०।

प्रार्थीगण

बनाम

01. धर्मसिंह पुत्र शिवलाल
02. अमरसिंह पुत्र तेजा
03. अर्जुन पुत्र कजोड़
04. प्रेम पुत्र विजयसिंह
05. फूल सिंह पुत्र कजोड़
06. बत्तो पुत्री फतेराम
07. मुकेश पुत्र तेजा
08. रामप्रसाद पुत्र धनमन्ती
09. वीरसिंह पुत्र शिवलाल
10. सत्यवीर पुत्र विजयसिंह
11. सुशीला पत्नी विजय सिंह
12. हरवीर पुत्र विजयसिंह, जातियान जाट, निवासीयान कलसाड़ा, तह० मालाखेडा, जिला अलवर, राज०।
13. तहसीलदार भू०अ० मालाखेडा जिला अलवर, राज० ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2588/742 रकबा 0.1200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 741 रकबा 0.1300 हैक्टेयर वाके ग्राम कलसाडा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी इस प्रार्थना पत्र में विवादित है। विवादित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 12 की सालिम कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हैं। जिस आराजी खसरा नम्बर 2588/742 में उत्तर की मेड़ से लगते हुऐ तरफ पश्चिम से पूर्व की मेंड़ तक तथा खसरा नम्बर 741 की पूर्व की मेड़ के लगते हुऐ तरफ दक्षिण से उत्तर की मेंड़ तक 12 फुट चौड़ा रास्ता जो कि वर्तमान में जारी है, जिसको संयुक्त रूप से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा कुछ अप्रार्थीगण द्वारा मकान बना कर रिहायश की हुई है जो परिवार सहित रह रहे है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने टैक्टर, ट्रोली, कृषि उपकरणों को

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

अपनी आराजी पर आने जाने हेतु उपयोग ले रहे है। उक्त रास्ते को ग्राम पंचायत कलसाडा द्वारा इंटरलोकिंग ईंटो से पक्का रास्ता भी बनाया जा चुका है। अब कुछ दिन पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा खसरा नम्बर 741 में उक्त रास्ते की भूमि पर पत्थर डाल कर पक्का निर्माण चालू किया जा रहा है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पक्का निर्माण कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तो प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर आने जाने व साधन ले जाने में व्यवधान पैदा होगा। दिनांक 24.09.2025 को जब प्रार्थीगण अपनी संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी को जोतने के लिये गये तो अप्रार्थी संख्या 01 ने जाने से रोक दिया तथा रास्ता अवरूद्ध कर दिया तथा एलानिया धमकी दी की वह पुख्ता निर्माण कर रास्ते को अवरूद्ध करके रहेगा। प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति बखूबी साबित है तथा प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विनायमुखास्मत बिनायदावी जब अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनॉक 24.09.2025 को पुख्ता निर्माण करने की धमकी दी तब पैदा हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वाके ग्राम कलसाडा तहसील मालाखेडा के आराजी खसरा नम्बर 2588/742 में उत्तर की मेड़ से लगते हुऐ तरफ पश्चिम से पूर्व की मेंड़ तक तथा खसरा नम्बर 741 की पूर्व की मेड़ के लगते हुऐ तरफ दक्षिण से उत्तर की मेंड़ तक 12 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को आने–जाने व कृषि उपकरण लाने–ले जाने हेतु दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6, 8, 10 लगायत 12 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2,7, 9 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। जिसका विवरण इस प्रकार है कि उक्त आराजी प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 12 की सालिम कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है खसरा नम्बर 741 में रास्ता बताया है वह मनगढन्त, झूठा, गलत एवं फर्जी होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण की और से किसी प्रकार का नजरी नक्शा पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थीगण किस आधार पर रास्ता मांगने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है और किस साईड में रास्ता चाहता है। प्रार्थीगण के पास खसरा नम्बर 740 नम्बर का खेत है। जिसमें आने जाने के लिए खसरा नम्बर 741 से सी.सी. रोड की तरफ रास्ता निकला हुआ है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के छोटा एवं सुगम है। जिसको प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इसलिए 742 में प्रार्थीगण का आने जाने का कोई मकसद व प्रयास यदि होता है तो वह गलत एवं विधि विरूद्ध है। इसलिए प्रार्थीगण का वाद अन्तर्गत धारा 251 क काश्तकारी अधिनियम के तहत खसरा नम्बर 742 के लिए बनना नहीं पाया जाता है। वह खारिज फरमाए जाने योग्य है। जवाब के साथ हाल नजरी नक्शा प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके अनुसार एबीसीडी भाग पर रास्ता दर्शित किया गया है। उसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण काफी लम्बे समय से करता चला आ रहा है। तरफ खसरा नम्बर ईएफजीएच रास्ता प्रतिवादीगण का निजी रास्ता है। जिसमें होकर प्रतिवादीगण अपने मकानातों में आते जाते है। खसरा नम्बर 742 की तरफ प्रतिवादीगण ने पक्की दीवार काफी लम्बे समय से पूर्व ही कर रखी है। भाग आई जे के एल भाग में प्रतिवादीगण धर्मसिंह के पक्के लैट्रीन बाथरूम बना रखे है । इसलिए प्रार्थीगण को 742 में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का दावा खारिज फरमाए जाने योग्य है।

तहसीलदार मालाखेडा से प्रार्थना पत्र मे वर्णित विवादित आराजी की मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी मौका रिपोर्ट मे अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र के अनुसार वादीगण द्वारा ग्राम कलसाड़ा के खसरा नम्बर 2588/742 व 741 में से 12 फिट चौडा रास्ता चाहा गया है। रास्ता चाहने बाबत खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

2588/742 व 741 में वादीगण के पिता मांगेलाल पुत्र रामसहाय जाति जाट हि० 1/8 दर्ज रिकॉर्ड है। विधिवत बंटवारा होने के पश्चात ही धारा 251(क) के तहत प्रार्थना पत्र लगाया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र/पत्रावली खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार मालाखेडा की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया कि प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2588/742 में उत्तर की मेड़ से लगते हुऐ तरफ पश्चिम से पूर्व की मेंड़ तक तथा खसरा नम्बर 741 की पूर्व की मेड़ के लगते हुऐ तरफ दक्षिण से उत्तर की मेंड़ तक 12 फुट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075 खाता संख्या नया–268 किता 18 कुल रकबा 4.35 हैक्टेयर वाके ग्राम–कलसाडा, तहसील मालाखेडा में प्रार्थीगण के पिता मांगेलाल पुत्र रामसहाय व अप्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं, जिसमें खसरा संख्या–2588/442 रकबा 0.12 हैक्टेयर व 741 रकबा 0.13 हैक्टेयर की शामिल है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण सहखातेदार होने के कारण विधिवत बंटवारा के तहत रास्ते की सुविधा को प्राप्त किया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)